

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना – जीयनपुर

दहेज हत्या का आरोपी गिरफ्तार

दिनांक 3.6.2021 को श्री राणा प्रताप सिंह पुत्र उमाशंकर सिंह ग्रा0पो0 इटौरा चौबेपुर थाना मु0गोहना जनपद मऊ के लिखित सूचना दिया गया कि अभियुक्तगण 1. रवियांस पुत्र चन्द्रशेखर सिंह आदि निवासीगण सालहेपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ द्वारा मेरी बहन रूची को दहेज के लिए प्रताडित करने व दहेज व मिलेने के कारण मेरी की बहन रूची की हत्या कर दिये उक्त सूचना के अधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन व दिनांक - 18/09/2021 को प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में व.उ.नि. केशर यादव मय राह द्वारा मुखबीर खास के सूचना के अधार पर मु0अ0सं0-150/2021 धारा-498ए,304बी भादवी व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रवियांस पुत्र चन्द्रशेखर सिंह निवासीग्राम सालहेपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ को अभियुक्त के घर ग्राम सालहेपुर से समय 08/50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया अग्रिम कार्यवाही किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण - रवियांस पुत्र चन्द्रशेखर सिंह निवासीग्राम सालहेपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ बदरियाफ्त अपनी गलती की माफी माँगते हुए अपनी सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बता रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0-150/2021 धारा-498ए,304बी भादवी व 3/4 डीपी एक्ट।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1- रवियांस पुत्र चन्द्रशेखर सिंह निवासीग्राम सालहेपुर थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. व.उ.नि. केशर यादव थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।
2. का0 अंकित पास थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।
3. का0 सुजीत कुमार थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।

थाना- महाराजगंज

नाबालिक किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार

वादी थाना महाराजगंज आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दिया गया कि वादी की पोती रानी (काल्पनीय नाम) उम्र - 17 वर्ष को कुंवर विजय निषाद S/O बुद्धिराम निषाद ग्राम - देवारा जदीद (नायक की छावनी) कोतवाली महाराजगंज जनपद - आजमगढ़ ने बहला - फुसलाकर भगा ले गया है और उसका दुष्कर्म भी किया गया है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी व प्रभारी निरीक्षक गजानन्द चौबे के नेतृत्व में आज दि0 18.09.21 को उ0नि0 हौंसिला प्रसाद सिंह मय राह कर्म0 गण के क्षेत्राधिकारी सगड़ी के गिरफ्तारी हुकुम तहरीरी के आधार पर मु0अ0सं0 103/21 धारा 363 , 366, 376 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)(V) SC/ST ACT से सम्बन्धित अभियुक्त कुंवर विजय निषाद पुत्र बुद्धिराम निषाद साकिन देवारा जदीद जोड़वावर थाना महाराजगंज आजमगढ़ की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मामूर था कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि कि जरिये मुखबीर सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त कटान बाजार के पास मौजूद है , जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर पहुँचकर उक्त अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 07.45 बजे दिये गये मानवाधिकार व माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उपरोक्त अभियुक्त को कब्जा पुलिस में हिरासत में लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम कुंवर विजय निषाद पुत्र बुद्धिराम निषाद साकिन देवारा जदीद जोड़वावर थाना महाराजगंज आजमगढ़ बताया। अभियुक्त उपरोक्त मु0अ0सं0 103/21 धारा 363, 366, 376 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)(V) SC/ST ACT का नामित अभियुक्त है।

पूछताछ का विवरण- बदरियाफ्त कुंवर विजय निषाद पुत्र बुद्धिराम निषाद साकिन देवारा जदीद जोड़वावर थाना महाराजगंज आजमगढ़ पूछने पर जुर्म से इन्कार करते हुए अपना सफाई बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में देना बता रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 103/21 धारा 363, 366, 376 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)(V) SC/ST ACT

गिरफ्तार बाल अपचारी –

1- कुंवर विजय निषाद पुत्र बुद्धिराम निषाद साकिन देवारा जदीद जोड़वावर थाना महाराजगंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- SIहौसिला प्रसाद सिंह मय राह हे0का0 रमेश कुमार, हे0का0 संतोष यादव थाना महाराजगंज आजमगढ़

थाना कन्धरापुर

01 वारण्टी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा चलाये गये गिरफ्तारी वांछित/वारन्टी अभियुक्त अभियान में वांछित/वारन्टी के गिरफ्तारी आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक कन्धरापुर के कुशल निर्देशन में दि0 18.09.2021 को उ0नि0 मानिकचन्द्र तिवारी मय राह का0 अमित कुमार पटेल के खानाशुदा रो0आम तारिख इमरोजा से मय गिरफ्तार शुदा 01 नफर वारन्टीसम्बन्धित न्यायालय ए.सी.जे.एम. 10, वारण्टी लालबहादुर राम पुत्र भगेलू राम निवासी बर्जी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ वहुलिया इकहरा मजबूत जिस्म आंख कान नाक कद लगभग 5 फीट गन्दुम रंग उम्र करीब 49 वर्ष सम्बन्धित मु0न0 5163/2018 धारा 363/366 भादवि के थाना वापस आया। अभियुक्त/वारण्टी को समय करीब 07.05 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/वारण्टी

1. लालबहादुर राम पुत्र भगेलू राम निवासी बर्जी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 49 वर्ष।

अभियोग

1. मु0न0 5163/2018 धारा 363/366 भादवि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मानिकचन्द्र तिवारी थाना कन्धरापुर, आजमगढ़।

2. का0 अमित कुमार पटेल थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

थाना – जीयनपुर

01 नफर वारण्टी गिरफ्तार

आज दिनांक18/09/2021को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीसुधीर कुमार सिंह (IPS) द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) व क्षेत्राधिकारी सगडी के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में उ.नि. चन्द्रशेखर यादव मय राहद्वारा वारण्टी अभियुक्तरामप्रकाश यादव पुत्र स्व0सेखी यादव निवासी ग्राम भरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को वारण्टी के घर ग्राम भरौली से समय 06.55 AM बजे गिरफ्तार किया गया।अग्रिम कार्यवाही किया जा रहा है।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 185/10 धारा 60 EX ACT व 272 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त -

रामप्रकाश यादव पुत्र स्व0सेखी यादव निवासी ग्राम भरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ.नि.चन्द्रशेखर यादव थाना कोतवालीजीयनपुर,जनपद-आजमगढ़।

2. का0 अभिषेक यादव थाना कोतवाली जीयनपुर ,जनपद-आजमगढ़।